न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 06 / 2024
निर्णय दिनांक : 09.05.2024
GCMS NO : 2024/7

1. विनोद आचारी पुत्र दानाराम जाति आचारी निवासी मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. राजूराम आचारी पुत्र दानाराम जाति आचारी निवासी मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता रमेश बिस्सु उपस्थित
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 253 वाके रोही मलसीसर तथा खेत खसरा संख्या 120, 122, 221 वाके रोही हेमासर अगुणा तथा खेत खसरा संख्या 189 व 190 वाके रोही रामपुर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि वादी का नाम वादगत भूमि में वादी संख्या 1 का नाम नाबालिग मनोज पुत्र दानाराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम विनोद आचारी पुत्र दानाराम है। वादी संख्या 1 बालिग हो चुका है। वादी संख्या 2 का नाम वादगत भूमि में नाम राजकुमार पुत्र दानाराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम राजुराम आचारी पुत्र दानाराम आचारी है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम हेमासर अगुणा के खाता संख्या 56 में वादी संख्या 1 का नाम मनोज पुत्र दानाराम तथा वादी संख्या 2 का नाम राजकुमार पुत्र दानाराम दर्ज है, रोही ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 243 में वादी संख्या 1 का नाम नाबालिग मनोज पुत्र दानाराम तथा वादी संख्या 2 का नाम राजकुमार पुत्र दानाराम व रोही ग्राम रामपुर के खाता संख्या 50 में वादी संख्या 1 का नाम नाबालिग मनोज पुत्र दानाराम सरंक्षक माता सरस्वती तथा वादी संख्या 2 का नाम राजकुमार पुत्र दानाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि वादीगण के दस्तावेजों में वादी संख्या 1 का नाम विनोद आचारी पुत्र दानाराम तथा वादी संख्या 2 का नाम राजुराम पुत्र दानाराम है। अतः वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम विनोद आचारी पुत्र दानाराम तथा वादी संख्या 2 का नाम राजुराम पुत्र दानाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड ,अंकतालिका की फोटोप्रति तथा जन आधार कार्ड की प्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम विनोद आचारी पुत्र दानाराम तथा वादी संख्या 2 का नाम राजुराम पुत्र दानाराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम हेमासरअगुणा के खाता संख्या 56 में दर्ज मनोज पुत्र दानाराम के स्थान पर विनोद आचारी पुत्र दानाराम तथा राजकुमार पुत्र दानाराम के स्थान पर राजुराम पुत्र दानाराम दर्ज किया जावे। व रोही ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 243 में दर्ज नाबालिग मनोज पुत्र दानाराम के स्थान पर विनोद आचारी पुत्र दानाराम तथा राजकुमार पुत्र दानाराम के स्थान पर राजुराम पुत्र दानाराम दर्ज किया जावे। और रोही ग्राम रामपुर के खाता संख्या 50 में दर्ज नाबालिग मनोज पुत्र दानाराम सरंक्षक सरपरस्त माता सरस्वती के स्थान पर विनोद आचारी तथा राजकुमार पुत्र दानाराम के स्थान पर राजुराम पुत्र दानाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़